



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 113-2022/Ext.]

चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 28 जून, 2022  
(7 आषाढ़, 1944 शक)

### विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम कुछ नहीं	
भाग II	अध्यादेश कुछ नहीं	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान 1. अधिसूचना संख्या का०आ० 60/के०अ० 54/1959/धा० 2/2022, दिनांक 28 जून, 2022 – हरियाणा सरकार, गृह विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 67/ह०अ० 25/2008/धा० 8, 9 तथा 10/2009, दिनांक 31 जुलाई, 2009 में संशोधन करने बारे।	625-626
भाग IV	शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन कुछ नहीं	

**HARYANA GOVERNMENT****HOME DEPARTMENT****Notification**

The 28th June, 2022

**No. S.O. 60/C.A. 54/1959/S. 2/2022.**— In exercise of the powers conferred by clause (d) of section 2 of the Arms Act, 1959 (Central Act 54 of 1959), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in Haryana Government, Home Department, Notification No. S.O. 67/H.A. 25/2008/Ss. 8, 9 and 10/2009, dated the 31st July, 2009, namely:—

**Amendment**

In the Haryana Government, Home Department, Notification No. S.O. 67/H.A. 25/2008/Ss. 8,9 and 10/2009, dated the 31st July, 2009, for the words “Commissioner of Police”, the words “Deputy Commissioner of Police, Head Quarter” shall be substituted.

RAJEEV ARORA,  
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,  
Home Department.

**भाग—III****हरियाणा सरकार**

गृह विभाग

**अधिसूचना**

दिनांक 28 जून, 2022

**संख्या का०आ० 60/के०अ० 54/1959/धा० 2/2022.**— शस्त्र अधिनियम, 1959 (1959 का केन्द्रीय अधिनियम 54), की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, गृह विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 67/ह०अ० 25/2008/धा० 8,9 तथा 10/2009, दिनांक 31 जुलाई, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

**संशोधन**

हरियाणा सरकार, गृह विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 67/ह०अ० 25/2008/धा० 8, 9 तथा 10/2009, दिनांक 31 जुलाई, 2009 में "पुलिस आयुक्त" शब्दों के स्थान पर, "पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

राजीव अरोड़ा,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
गृह विभाग।